

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

आज दिनांक 01.08.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना मधुबन पुलिस द्वारा लालनपुर के पास से मु0अ0सं0 398/21 धारा 323,354 भादवि0, 3(2)5ए एसटी/एससी तथा 5/6 पोक्सों एक्ट में वांछित अभियुक्त राजन गुप्ता उर्फ रूपेश पुत्र अरुण गुप्ता निवासी लालनपुर थाना मधुबन, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 118/21 धारा 363,366,120बी भादवि0 में वांछित अभियुक्त सुनील यादव पुत्र लालबहादुर यादव निवासी रानीपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 15 व्यक्ति गिरफ्तार—

आज दिनांक 01.08.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा धमेन्द्र यादव निवासी मऊकुबेर थाना हलधरपुर, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा जयसिंह चौहान, श्रीराम चौहान, रामरूप चौहान, उमाशंकर चौहान निवासीगण मूंगमास, वैभव यादव निवासी लाडनपुर, रोहित यादव निवासी कोपाकोहना, शिवशंकर गुप्ता निवासी लैरोदोनवार थाना कोपागंज, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा समशाद अहमद, अमन, मूमताज, रिजवान, रश्मि खातुन, नफरीना निवासीगण मुंशीपुरा थाना कोतवाली, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा नासिर निवासी पीपरीडीह थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

ऐच्छिक ब्यूरो के सदस्यों के प्रयास से 24 में से पांच मामलों का हुआ निस्तारण, दो दंपति साथ साथ रहने को हुए तैयार—

महिला ऐच्छिक ब्यूरो की बैठक रविवार को पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अमित कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान ऐच्छिक ब्यूरो में कुल 24 मामले आए, जिसमें सदस्यों के प्रयास से 05 मामलों का निस्तारण हुआ। जिसमें दो पक्षकार सभी मतभेद भुलाकर सुलह समझौता कर साथ साथ रहने को तैयार हो गए। वही दो मामलों में पक्षकारों की सहमति से मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के चलते पत्रावली निस्तारित कर दी गई। वही एक मामले में पक्षकारों के बीच सुलह न होने की स्थिति में पत्रावली अग्रिम कार्यवाही के लिए अग्रसारित कर दी गई। इस दौरान चार मामलों में पक्षकारों ने सुलह के लिए समय की मांग किया। बैठक में 8 मामलों में एक— एक पक्ष उपस्थित तथा 7 मामलों में कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। जिसके चलते बैठक की अगली तिथि 29 अगस्त 2021 नियत कर पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने का निर्देश दिया गया। ऐच्छिक ब्यूरो के सदस्यों के प्रयास से मीरा देवी और संगीता तथा हाजरा खातून और मोसीम ने आपसी मतभेद भुलाकर साथ साथ रहने को तैयार हो गए। वही शांति चौहान और मनोज चौहान तथा कमलेश चौहान और पूजा चौहान के मामले में मामला कोर्ट में विचाराधीन होने और पक्षकारों की सहमति से पत्रावली निस्तारित कर दी गई। वही शुभ्रा चौबे और पवन तिवारी के मामले में पक्षकारों के बीच सुलह न होने पर पत्रावली अग्रिम कार्यवाही के लिए अग्रसारित कर दी गई। इस दौरान प्रियंका और रामनरेश, फातिमा जोहरा और एजाजुरहमान, सीमा देवी और राजकुमार, सायराबानो और मुहम्मद दानिश ने सुलह के लिए समय की मांग किया। इस दौरान 08 मामलों में एक— एक पक्षकार उपस्थित हुए। तथा 07 मामलों में कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। जिसके चलते बैठक की अगली तिथि 29 अगस्त 2021 नियत कर पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने का निर्देश दिया गया। बैठक में ब्यूरो के सदस्यगण सर्वेश दूबे, इब्राहिम सेवक, विनोद कुमार सिंह, अर्चना उपाध्यक्ष, मौलवी अरशद, महिला आरक्षी सोनी सिंह और प्रीति दूबे ने अपना योगदान दिया। इस दौरान काफी संख्या में पक्षकार व उनके परिजन उपस्थित रहे।